

पत्रांक - बु0वि0 / सम्ब0 / 2016 / 159

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

सेवा में,

दिनांक : 131 / 05 / 2016

✓ प्रबन्धक / सचिव

भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजूकेशन,  
महरा, ललितपुर।


**विषय:** स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजूकेशन, महरा, ललितपुर को स्नातक स्तर पर करने के सम्बन्ध में।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) हारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बन्धता की पूर्णानुमति की धारा 37 में विहित प्राक्षणों के आलोक में तथा अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के पत्र स0 सम्ब0-1146 / सत्र-2-2014-16(258) / 2013 दिनांक 01 अगस्त, 2014 में दिये गये निर्देशानुसार तथा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय ऑफ एजूकेशन, महरा, ललितपुर को स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय में बी0एड0 में अतिरिक्त सीटों विषय/पाठ्यक्रम में सम्बन्धता की अनुमति प्रदान करने के लिये दिनांक 02.05.2016 को कुलपति जी की अधिकाता में गठित सम्बन्धता कमिया इग्रेट की गई है।

प्रत्यापित, पाठ्यक्रम हेतु प्रवक्ताओं के फोटोयुक्त (प्रबन्धक / सचिव तथा सम्बन्धित शिक्षक) अनुबन्ध पत्र तथा ऐतिहासिक संस्कार का विवरण संलग्न नहीं है।


सम्बन्धता समिति की संस्तुति तथा कार्यपरिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में माननीय कुलपति जी न स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजूकेशन, महरा, ललितपुर को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय में बी0एड0 में अतिरिक्त सीटों पाठ्यक्रम/विषय में दिनांक 01.07.2016 से आगामी दो वर्ष के लिए सार्वतंत्र सम्बन्धता की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

1. महाविद्यालय सम्बन्धता आदेश में इग्रेट कमियों को प्रत्येक दशा में एक माह के भीतर पूर्ण कर विश्वविद्यालय को सम्मुखित करेगा तथा विश्वविद्यालय को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय सम्बन्धता की जरूरत पूरी कर रहा है।
2. महाविद्यालय विश्वविद्यालय को प्रतिवर्ष अग्निशमन विमान के नियमों के अनुसार अग्निशमन प्रमाण पत्र नवीनीकृत कराते हुए प्रस्तुत करेगा।
3. नहाविद्यालय एन0सी0टी0ई0 के मानकानुसार अनुमोदित शिक्षकों के नियुक्ति पत्र कार्यपाद ग्रहण आख्या फोटोयुक्त (प्रबन्धक / सचिव तथा सम्बन्धित शिक्षक) अनुबन्ध पत्र जिसमें अनुबन्ध की अवधि तथा दैर्घ्य वर्तन का स्पष्ट उल्लेख हो, पैक जाता संख्या का विवरण ऑनलाइन करते हुए एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराना द्वानियन्वत करेगा।
4. महाविद्यालय कार्यपरिषद के नियमानुसार सभी कक्षों में सी0सी0टी0वी0 केरे लगाकर उन्हें विश्वविद्यालय के नियन्त्रण कक्ष से इंटरनेट के माध्यम से जोड़ कर तदनुसार सिस्टम एनालिस्ट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को प्राप्त करायगा।



5. उक्त महाविद्यालय शासनादेश स0 2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उलिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगा। माननीय उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका स0 61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मनकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश स0-522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का भलीभांति अनुपालन तथा अनुमोदित शिक्षकों के वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से कराना सुनिश्चित करेगा।
6. महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रबन्ध तंत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि सम्बन्धित अभिलेख/सूचना कूटरचित थी अथवा ऐसा कोई तथ्य छिपाया गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्बद्धता नहीं दी जा सकती थी तो प्रदत्त सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाही जी जायेगी जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबन्धतान्व का होगा।
7. मात्र महाविद्यालयों को 100 रुपये के शपथ पत्र पर महाविद्यालय में सचालित रामस्त पाठ्यक्रमों व्याख्यान क्रमों व प्रयोगशाला का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जिन महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर प्रयोगस्तक विषयों में सम्बद्धता प्रदान की गयी है, वहाँ इस आशय का शपथ पत्र बांधित है कि स्नातक/स्नातकोत्तर विषयों में पृथक् पृथक् प्रयोगशाला है जो पूर्ण रूप से निर्मित व सुसज्जित है।
8. यदि महाविद्यालय द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 एवं विश्वविद्यालय परिनियम में घण्टित प्राक्प्रानो/उच्चबन्धो तथा रामय-समय पर शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी नियमारता को सुनिश्चित नहीं किया जाता है तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में विस्तृत प्राविधिकाना के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

गवर्नर,

  
(व्यास नारायण सिंह)

कुलसचिव



प्रतिलिपि:- निमालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रमुख राजिव, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
- निवेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 शासन, हुलाहाथाद।
- शोक्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, झासी।
- समाज कल्याण अधिकारी, ललितपुर।
- उप कुलसचिव/ सहायक कुलसचिव (परीक्षा / गोपनीय)।
- डा० दीपक तोमर, सिरस्टम एनालिस्ट को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र महाविद्यालय के कॉलेज लॉगहन पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- कुलपति जी के निजी सचिव को कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
- कुलसचिव के आशुलिपिक।

कुलसचिव



## बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

पत्रांक - बुधवार / समव्य / 2016 / २५६

दिनांक 131 / 05 / 2016

सेवा में,

प्रबन्धक / सचिव

भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजूकेशन,  
महर्छ, ललितपुर।

विषय:- स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजूकेशन, महर्छ, ललितपुर को स्नातक स्तर पर शिक्षा संस्कृत में बी०पी०ए०ड० विषय / पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2016 से सशर्त सम्बद्धता की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (प्रियोग संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 संव 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की घास 37(2) को परन्तु के अद्यीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूटोनुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया गया है तथा सम्बद्धता का अधिकार विश्वविद्यालय को प्राप्त हो गया है। मूल अधिनियम की घास 37 में विहित प्रावधानों के आलोक में तथा अनुसंधित उच्च शिक्षा अनुमाय-2 उ०प्र० शासन के पत्र संव 1146 / सत्तर-2-2014-16(258) / 2013 दिनांक 01 अगस्त 2014 में दिये गये निर्देशानुसार तथा उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय (प्रियोग संशोधन) अधिनियम 2014 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 14 संव 2014) में दी गयी व्यवस्था के अद्यीन भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजूकेशन, महर्छ, ललितपुर को स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संभाय में बी०पी०ए०ड० विषय / पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की अनुमति प्रदान करने के लिये दिनांक 03.05.2016 को कुलपति जी की अध्यक्षता में यहित सम्बद्धता समिति की बैठक में निरीक्षण मण्डल की आख्या में की गई संस्कृति का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपराना समिति द्वारा निम्नलिखित कमियों इग्निट की गई है—

- प्रस्तुति पाठ्यक्रम हेतु प्रधक्षताओं के फोटोयुक्त (प्रबन्धक / सचिव तथा सम्बन्धित शिक्षक) अनुबन्ध पत्र तथा वैदेश मुगलाम जा विवरण स्वतंत्र नहीं है।

सम्बद्धता समिति की स्वतंत्रता तथा कार्यपरिपद के अनुमोदन की प्रत्यक्षा में माननीय कुलपति जी ने स्ववित्त योजना के अन्तर्गत भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजूकेशन, महर्छ, ललितपुर को स्नातक स्तर पर शिक्षा संभाय में बी०पी०ए०ड० पाठ्यक्रम / विषय में दिनांक 01.07.2016 से आगामी दो वर्ष के लिए सशर्त सम्बद्धता की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अद्यीन प्रदान की जाएगी है।

- महाविद्यालय सम्बद्धता आदेश में इग्निट कमियों को प्रत्येक दशा में एक माह के भीतर पूर्ण कर विश्वविद्यालय को सम्मिलित करेगा तथा विश्वविद्यालय को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय सम्बद्धता को जर्ते पूरी कर रहा है।
- महाविद्यालय विश्वविद्यालय को प्रतिवर्ष अग्रिमशमन विभाग के नियमों के अनुसार अग्रिमशमन प्रमाण पत्र नवीनीकृत करते हुए प्रस्तुत करेगा।
- महाविद्यालय एन०सी०टी०इ० के मानकनुसार अनुमोदित शिक्षकों के नियुक्ति पत्र कार्यभार यहां आख्या फोटोयुक्त (प्रबन्धक / सचिव तथा सम्बन्धित शिक्षक) अनुबन्ध पत्र जिसमें अनुकूल्य की जायदि तथा देश बदलन का रपट उल्लेख ही देश खाली संख्या का विवरण डीनलाइन करते हुए एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।
- महाविद्यालय कार्यपारिपद के निर्णयानुसार सभी कद्दों में सी०सी०टी०वी० कंमरे लगाकर उन्हें विश्वविद्यालय की नियन्त्रण कक्ष है इण्टरनेट के माध्यम से जोड़ कर लदनुसार सिस्टम एनालिस्ट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को ब्राउज़ करायेगा।
- उक्त महाविद्यालय शासनादेश संव 2851 / सत्तर-2-2003-16(92) / 2002 दिनांक 02 जुलाई 2003 में अग्रिमशमन —विज्ञा-निदेश एवं इस विषय में समय-समय पर नियम शासनादेशों का पालन करेगा। माननीय उच्च न्यायालय में योजित नि-

यादिका स0 61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश स0-522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का भलीभांति अनुपालन तथा अनुसृति शिक्षकों के वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से कराना गुणित्वात् करेगा।

6. महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रबन्ध तंत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि किसी सत्र पर माया जाता है कि सम्बन्धित अभिलेख/सूचना कूलसंचय थी तथा ऐसा कोई तथ्य उपलब्ध नहीं होता तो उसके सम्बद्धता नियम करने की कार्यवाही की जायेगी जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व सहाविद्यालय प्रबन्धालय द्वारा होगा।
7. समर्पण महाविद्यालयों को 100 रुपये तक जारी रख वर महाविद्यालय में उच्चालेत लगभग वार्षिकी, व्याख्यान कही उपयोगशाला का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जिन महाविद्यालयों में राजाकोत्तर सत्र पर प्रयोगशालक विषयों में सम्बद्धता प्रदान की गयी है वहाँ इस आशय का शपथ पत्र दाखिल है कि एवताक/राजाकोत्तर विषयों में पूरक-पूरक प्रयोगशाला है जो पूर्ण रूप से निर्मित व सुरक्षित है।
8. यदि गहाविद्यालय द्वारा उ0प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 एवं विश्वविद्यालय चरिनियम में वर्णित प्राक्षानों/उपवेदनों तथा समय-समय पर शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शहीं एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी नियन्त्रण सुनिश्चित नहीं किया जाता है तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में विहित प्राक्षानों के अन्तर्गत गहाविद्यालय को प्रदान की गयी सम्बद्धता काप्रसं लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय

कृष्ण गोपाल नियम  
कुलसंचिव

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उ0प्र० शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र० शासन, इलाहाबाद।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, झांसी।
4. समाज कल्याण अधिकारी, ललितपुर।
5. उप कू. सचिव/सहायक कुलसंचिव (परीक्षा/गोपनीय)।
6. छठ पौधक तोमर, सिरस्टम एनालिस्ट को इस आशय से प्रेषित कि उवता पत्र महाविद्यालय के कोंडेज लोगइन पर अपनेह सुनिश्चित करें।
7. कुलपति जी के निजी सचिव को कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
8. कुलसंचिव के आशुलिपिक।

कुलसंचिव